न्यायालय असि0 कलेक्टर (प्र0श्रे0)/उपजिलाधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर।

वाद सं0 64

ज्ञान गंगा एजूकेशन सोसायटीज बनाम

धारा 143 ज0वि0अधि0
गांव सभा
ग्राम अमिलिहा
तहसील बिल्हौर
कानपुर नगर।

नकल -:निर्णय:-

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ज्ञान गंगा एजूकेशन सोसायटी स्थित 17/5 रोलैण्ड टावर प्रथम तल माल रोड कानपुर नगर द्वारा चेयरमैन राघवेन्द्र गर्ग ने प्रार्थनपत्र प्रस्तुत किया है। अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि प्रार्थी की सोसायटी एक शिक्षण संस्था है। जिसका उद्देश्य समाज को शिक्षा प्रदान करना, सोसायटी का पंजीकरण भी नियमानुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत है। प्रार्थी की सोसायटी ने ग्राम अमिलिहा में शिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय की है। जिस पर विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीडा स्थल आदि का निर्माण होना है। सोसायटी संक्रमणीय भूमि सं0 778मि रकबा 0.636 व 771 रकबा 0.074 व 772 रकबा 0.074 व 773 रकबा 0.244 व 774 रकबा 0.917 व 778मि रकबा 0.744 व 779 रकबा 0.683 व 770 रकबा 0.525 स्थित ग्राम अमिलिहा का तनहा संक्र0 भूमि0 काबिज है। अन्य कोई हिस्सेदार नही है। उपरोक्त भूमि विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गयी है तथा सोसायटी द्वारा कोई कृषि कार्य नही किया जाता है। अन्त में कहा है कि उपरोक्त भूमि स्थित ग्राम अमिलिहा तहसील बिल्हौर को अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय प्रयोजन हेतु घोषित किये जाने की याचना की है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार बिल्हौर से कराई गयी। तहसीलदार बिल्हौर अपनी जांच आख्या 10.10.2007 में उल्लेख किया है कि ग्राम अमिलिहा की गाटा सं0 778मि रकबा 0.636 व 771 रकबा 0.074 व 772 रकबा 0.074 व 773 रकबा 0.244 व 774 रकबा 0.917 व 778मि रकबा 0.744 व 779 रकबा 0.683 व 770 रकबा 0.525 कुल आठ किता/ 3.897 हे0 ज्ञान गंगा एजुकेशन सोसायटी स्थित 17/5 रोलैण्ड टावर प्रथम तल दि माल कानपुर नगर द्वारा ऐश्वर्य गर्ग पुत्र राघवेन्द्र गर्ग निवासी 17/5 रोलैण्ड टावर प्रथम तल दि माल कानपुर नगर द्वारा विभिन्न कास्तकारों के क्रय किया है, जो संक्र0 भूमि है तथा मौके पर उक्त संस्था द्वारा इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण प्रारम्भ है। उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है। भूमि अकृषिक /आवासीय शैक्षिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

आदेश।

अतः ग्राम अमिलिहा तहसील बिल्हौर की खाता सं0 270 की गाटा सं0 778मि रकबा 0.636 व 771 रकबा 0.074 व 772 रकबा 0.074 खाता सं0 310 की गाटा सं0 773 रकबा 0.244 खाता सं0 96 की गाटा सं0 774 रकबा 0.917 व खाता सं0 233 गाटा सं0 778मि रकबा 0.744 खाता सं0 219 गाटा सं0 779 रकबा 0.683 खाता सं0 187 गाटा सं0 770 रकबा 0.525 कुल आठ किता/ 3.897 भू राजस्व 185.30 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत ज्ञान गंगा एजुकेशन सोसायटी स्थित 17/5 रोलैण्ड टावर प्रथम तल दि माल कानपुर नगर द्वारा संयुक्त सचिव ऐश्वर्य गर्ग पुत्र राघवेन्द्र गर्ग नि0 17/5 रोलैण्ड टावर प्रथम तल दि माल कानपुर नगर की उक्त वाद ग्रस्त भूमि औद्योगिक/शैक्षणिक/अकृषिक घोषित की जाती है। आदेश की एक प्रति उप निबंधक बिल्हौर को पंजीयन हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तार हो।

दिनांक...29/10/07

(प्रहलाद सिंह)
असि0कले0(प्र0श्रे0)/उपजिलाधिकारी
बिल्हौर, कानपुर नगर।

Sl. No. 160
Date of Application 01-5-08
Name of Applicant श्री राजीव लोचन
Date of Preparation 03-5-08
Date of Delivery 03-5-08
Cost 6.50

Copied By 03-5-08

Court of S. D. O. / S.D.M.